

(ख) इन खनन पट्टों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वनेतर प्रयोजनों के लिए वनभूमि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचारार्थीन नहीं है। लेकिन परियोजना के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि न्यूनतम वनभूमि की मांग की गई है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

खाली पड़ी जमीन को उद्यानों में बदला जाना

252. श्री रामजी लाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1991-92 के दौरान एन्य-सरकारों से खाली पड़ी हुई जमीन को उद्यानों में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इसके लिए पहले से चली आ रही योजना के लिए दिए गए अनुदान के अतिरिक्त विशेष अनुदान देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

देश में वन-क्षेत्र

253. श्री रामजी लाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिकार्ड के अनुसार देश में कुल कितना वन-क्षेत्र है और वास्तव में कुल कितनी भूमि पर वन है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने पड़ काटे गए और कितने पौधे लगाये गए;

(ग) क्या यह सच है कि वनों के विनाश को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है और क्या उक्त अधिनियम का पालन किया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अधिनियम के उपबंधों का देश में, विशेषकर हरियाणा में पालन न किए जाने के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा 1987-89 की अवधि से सम्बन्धित उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के दृश्य विवेचन के आधार पर किए गए अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार देश में रिकार्ड किया गया कुल वन क्षेत्र 7,70,078 वर्ग किमी. है, जबकि कुल वनस्पति-आवरण 6,39,182 वर्ग किमी. है।

(ख) काटे गए वृक्षों की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की जाती है, जबकि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत रोपित किया गया क्षेत्र तथा पौध वितरण के बारे में उपलब्धि इस प्रकार है:—

वर्ष	वितरित किए गए पौधों की संख्या (निजी भूमि पर रोपण के लिए)	रोपित क्षेत्र (सर्व-जनिक भूमि वन भूमियों सहित) के लिए
1990-91	लाख 12703.81	हे० 751714.71
1991-92	13846.19 (अनन्तित)	1003758.11 (अनन्तित)

(ग) जी, हां।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक किसी भी मामले में मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

Dwindling of tigers in Ranthambhoru National Park

254. SHRI KAMAL MORARKA: Will the minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of tigers in Ranthambhoru National Park has dwindled from 45 in 91 to 18 in 92;

(b) whether Government's attention has been drawn to the Kumat report in this regard;

(c) what is the estimated number of tigers in all the parks in the country; park-wise;